



296

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी प्र०क्र० R-1119-II/2004 वर्ष

प्रशांत प्रताप सिंह पिता श्री विजय प्रताप सिंह
उम्र-30 वर्ष पेशा काश्तकारी
निवासी ग्राम पडरियाकला
तहसील पवई जिला पन्ना (म०प्र०)

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. म०प्र०शासन
2. कृपईयां तनय बुधुवा गौड
पेशा काश्तकारी नि०ग्राम पडरियाकला
तह० पवई जिला पन्ना (म०प्र०)

.....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर
कलेक्टर महोदय, पन्ना रा.प्र.क.17/स्वमेव
निगरानी वर्ष 2003-2004 आदेश दिनांक
19/फरवरी/04 निगरानी अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र० भू रा०सं० 1959.

प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित है :-

1. यह कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पवई द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध की गई झूठी शिकायत के आधार पर श्रीमान् कलेक्टर महोदय पन्ना को दिनांक 2/7/03 को तहसीलदार पवई के राजस्व प्र०क्र० 23-अ 19-ब वर्ष 1993-94 में पारित आदेश दिनांक 27/6/94 एवं ग्राम पंचायत पडरियाकला की नामान्तरण पंजी क० 22 दिनांक 21/9/99 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया था योग्य अधीनस्त न्यायालय ने स्वयं उक्त प्रकरण का एवं नामान्तरण पंजी का परीक्षण नहीं किया मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 2/7/03 के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को अस्पष्ट कारण बताओं नोटिस जारी किया गया । निगरानीकर्ता ने अधीनस्त न्यायालय में उपस्थित होकर वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की वाद ग्रस्त आराजी उबड खाबड पडती भूमि थी, निगरानीकर्ता ने सद्भाविक रूप से द्रष्यमान भूमि स्वामी द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त किया, निगरानीकर्ता ने कठोर श्रम कर उबड खाबड पडती जमीन को काबिज काश्त बनाया है सिंचाई के लिए कुंआ बोर निर्मित किया एवं कृषि कार्य हेतु मकान का निर्माण किया है एवं कृषि कार्य हेतु स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से 2,00,000/- अंकन दो लाख रुपये का ऋण लिया है व ट्रेक्टर कय किया है जिसकी अदायगी अभी शेष है । निगरानीकर्ता ने यह भी आपत्ति की कि साढे चार वर्ष की

11/9/04
महोदय,

11/9/04
महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... निमः1119/11/04 जिला पन्ना.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.1.17	<p>1- आवेदक की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र जैन उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से सूची अभिभाषक उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना के रा.प्र.क्र. 25/स्व.निगरानी/वर्ष 2003-04 में पारित आदेश दि. 19-02-2004 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी पवई के प्रतिवेदन दिनांक 02.07.2003 जिसमें नामांतरण पंजी क्र. 21 दि. 21.09.1999 को स्वमेव निगरानी में लिए जाने हेतु प्रतिवेदित के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्व.निग. के तहत क्रयशुदा भूमि को विक्रेता के नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किया गया है जबकि विक्रेता द्वारा कोई भी कार्यवाही एवं शिकायत नहीं की थी निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर किए गए नामांतरण को निरस्त किए जाने से अपर कलेक्टर द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>उनका यह भी तर्क है इस प्रकरण में आवेदक द्वारा विक्रेता उमियां तनय कृपाइया के नाम भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि, भूमि आराजी नं. 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2625, 2626, 2627, व 2640, कुल किता-9 कुल रकवा 1.36 हे० भूमि उसे भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाने के उपरांत निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.08.99 से क्रय की थी जिसका नामांतरण पंजी क्र. 21 में पारित आदेश दिनांक 21.09.99 को विधिवत प्रक्रिया के तहत किया गया था भूमि स्वामी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को स्वमेव निगरानी के तहत प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि इस प्रकरण में 165(7-ख) के प्रावधान प्रभावशील नहीं थे इस कारण उन्होंने अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>3- उन्होंने अपने तर्कों में यह भी कहा है कि तहसीलदार पवई द्वारा पारित आदेश को शून्य किए जाने बावत् राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R- 1119- 5/04 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया है एवं विक्रेता द्वारा प्राप्त राशि से बैंक द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी की है यदि उसे राशि वापिस करना पड़ेगी तो ऋण की भरपायी करना एवं जीवन यापन करने में काफी कठनाई होगी। उन्होंने राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.-44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायाधीश एस.के. गंगोले ने रे.नि. वर्ष 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।</p> <p>4- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रतिवेदन वर्ष 2003 के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.1994 एवं नामांतरण पंजी क्र.22 पर पारित आदेश दिनांक 21.09.1999 को स्वमेव निगरानी के तहत आदेश पारित किया है जबकि प्रकरण क्रमांक 21/अ-19(ब)/वर्ष 93-94 में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के उपरांत किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।</p> <p>5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाता है तथा अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.04 निरस्त किया जाता है तथा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 21.09.1999 स्थिर रखा जाता है। परिणतः निष्पादित विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

[Handwritten mark]

[Signature]
सदस्य